पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2019

अनवान :

1. संदीप कुमार
2. प्रदीप कुमार

} पि0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीगण चक 8एसडीआर गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी रामपुरिया बागडिया तहसील सिरसा हाल चक 8 एसडीआर गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादी श्री जगदीश महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 एसडीआर के खाता सं0 11/12 के मु0नं0 7 के किला नं0 22 ता 25, मुरबा नं0 8 के किला नं0 21, मु0नं0 17 के किला नं0 1, 9 ता 12, 18 ता 22 मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 19 के किला नं0 5, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0नं0 23 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 25 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 20.746 है0 जिरामें 20.210 है0 बारानी एवं 0.536 है0 गै0मु0 रास्ता खातदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी महेन्द्र तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़),
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 104/2019

अनवान :

1. संदीप कुमार
2. प्रदीप कुमार

} पि0 महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासीगण चक 8एसडीआर गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी रामपुरिया बागडिया तहसील सिरसा हाल चक 8 एसडीआर गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर पूनियां : **वादीगण**

वकील श्री जगदीश महला : **प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक :** 30-07-2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 एसडीआर के खाता सं0 11/12 के मु0नं0 7 के किला नं0 22 ता 25, मुरबा नं0 8 के किला नं0 21, मु0नं0 17 के किला नं0 1, 9 ता 12, 18 ता 22 मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 19 के किला नं0 5, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0नं0 23 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 25 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 20. 746 है0 जिसमें 20.210 है0 बारानी एवं 0.536 है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें आशाराम पुत्र गुगन 1/8 हिस्सा, प्रभू, कृष्ण 1/8 हिस्सा, महेन्द्र प्रतिवादी 1/3 हिस्सा, मामकोरी, गुड्डीदेवी का 1/6 हिस्सा, रामरखा 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वज चक 8 एसडीआर गांधीबडी तथा पडोस में चिपते हुए गांव रामपुरा बगडिया दोनों जगह अधाचार करते है। प्रतिवादी का दादा बालूराम तथा दादा के भाई खेताराम, रामस्वरूप, रामरख सभी दोनो जगह अधाचार करते है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैत्रक सम्पति हैं। वाद भूमि महेन्द्रसिंह को विरासतन अपने पिता बालूराम से प्राप्त हुई है। बालुराम को भी विरास्तन प्राप्त हुई है वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी महेन्द्रसिंह ने इकबाल दावा पेश किया। पत्रावली साक्ष्य हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 प्रदीप कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एसडीआर के खाता सं0 11/12 सम्वत् 2074 से 77 की प्रदर्श 1, चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर चक 8 एसडीआर प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये एवं सरपंच ग्राम पंचायत

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रामपुरा नवाबाद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 8 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि दादालाई पैत्रिक कृषि भूमि है। दादालाई भूमि के संबंध में पूर्ण प्रमाण संलग्न पत्रावली है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादीगण ने चक 8 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी महेन्द्रसिंह को अपने पिता बालुराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर चक 8 एसडीआर प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग चक 8 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 पेश की है जिनसे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में महेन्द्रसिंह पुत्र बालुराम के वारिसान में पत्नि शिमला मौजूद, दो पुत्र सन्दीप कुमार व प्रदीप कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 एसडीआर के खाता सं0 11/12 के मु0नं0 7 के किला नं0 22 ता 25, मुरबा नं0 8 के किला नं0 21, मु0नं0 17 के किला नं0 1, 9 ता 12, 18 ता 22 मु0नं0 18 के किला नं0 1 ता 25, मु0नं0 19 के किला नं0 5, 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0नं0 23 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 25 मु0नं0 25 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 20.746 है0 जिसमें 20.210 है0 बारानी एवं 0.536 है0 गै0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी महेन्द्र तीनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी महेन्द्रसिंह के नाम संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

30.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़